कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हमीरपुर, वन प्रभाग हमीरपुर।

पत्रांकः 1631 /33–1/दिनांक, हमीरपुर, जनवरी 27 2022

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता,
विश्व बैंक परियोजना वृत्त,
लो0नि0वि0 कानपुर।

विषयः–**Construction of 2-Lane Missing Link Road from Rath Bypass (Hamirpu District) to Garautha (Jhansi District) of SH-42 in the State of Uttar Pradesh. Proposal Number-FP/UP/Road/117342 /2020.**

सन्दर्भः–आपका पत्रांक–45/16C(1)-WBPCK/2022 Dated-12.01.2022.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित प्रस्ताव का परीक्षण करने पर निम्नलिखित कमियॉ पायी गयी। आपसे अपेक्षा की जाती है कि प्रस्ताव में इन कमियों के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुये आपत्तियों का निराकरण कर समस्त अभिलेखों सहित संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

1. परिवेश पोर्टल पर अपलोड किये गये प्रस्तावों को देखने पर पता चला कि उपरोक्त क्षेत्र से सम्बन्धित 02 प्रस्ताव इसके पूर्व भी अपलोड किये गये है।
   1:–प्रस्ताव संख्या–FP/UP/Road/22049/2016
   2:–प्रस्ताव संख्या–FP/UP/Road/115812/2020

   उक्त दोनों प्रस्तावों के सम्बन्ध में कृपया अवगत करायें, कि इन प्रस्तावों पर आगे कार्यवाही क्यों नही की गयी एवं पुनः नया प्रस्ताव तैयार किये जाने का क्या औचित्य है। दोनों प्रस्तावों को पोर्टल से क्यों नही हटवाया गया।
2. प्रस्ताव के साथ संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न नही की गयी है। आपसे अपेक्षा की जाती है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित करें कि क्षेत्रीय वन अधिकारी राठ से सम्पर्क कर मार्ग संरेखण के अनुसार विषयक क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण कराना सुनिश्चित करें, ताकि मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली वनभूमि तथा वृक्षों की संख्या की स्थिति स्पष्ट हो सके। तदनुसार प्रस्ताव के साथ संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट तथा प्रजातिवार/गोलाईवार वृक्षों की गणना रिपोर्ट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
3. आप द्वारा प्रस्ताव में दर्शाया गया है कि हमीरपुर वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित होने वाली आरक्षित/संरक्षित वनभूमि 8.8317 हे0 है, परन्तु इसके एवज में मात्र 4.068 हे0 गैर वनभूमि का पुनर्ग्रहण आदेश जारी किया गया है। जबकि प्रभावित होने वाली आरक्षित/संरक्षित वनभूमि के समतुल्य गैर वनभूमि वन विभाग के पक्ष में देने हेतु पुनर्ग्रहण आदेश जारी होना चाहिये।
4. प्रस्ताव के साथ एफ0आर0ए0 सर्टीफिकेट संलग्न नही किया गया।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि अपने प्रतिनिधि को भेजकर प्रस्ताव की प्रतियॉ प्राप्त कर लें एवं उक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुये आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(उमेश चन्द राय)
प्रभागीय वनाधिकारी,
हमीरपुर वन प्रभाग, हमीरपुर।

पृष्ठांकन संख्या................../अ/समदिनॉकित।

प्रतिलिपि–जिलाधिकारी महोदय हमीरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–क्षेत्रीय वन अधिकारी, राठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि लो0नि0वि0 कानपुर के अधिकारियों/कर्मचारियों का वॉछित सहयोग करते हुये संयुक्त निरीक्षण कराना सुनिश्चित करें।

(उमेश चन्द राय)
प्रभागीय वनाधिकारी,
हमीरपुर वन प्रभाग, हमीरपुर।